न्यायालयः—अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारीः—दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या—99 / 2022 दायरा दिनांकः 13.10.2023 GCMS CASE NO- 2022/92

कुरशैद मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 1.825 आरडीएल तहसील सूरतगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़
2. तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू—राजस्व अधिनियम 1970 एवं कृषि प्रयोजनाथ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—
1. श्री राकेश सारस्वत, अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांकः—13.10.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया है अप्रार्थी नं० 1 के पिता मनीराम पुत्र श्री दानाराम जाति हरिजन निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ के नाम से सूरतगढ़ के चक 1.825 आरडी प०न० 135 / 50 कि०न० 9 ता 13, 19 ता 21, 22 ता 25 = 12—00 बीघा भूमि जरिये मि०नं० 961 / 74 दिनांक 25.08.1982 को सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ द्वारा कीमतन आंवटन की गई। उक्त आंवटन मात्र पेपर आंवटन था जिसका ना तो कभी राजस्व रिकार्ड में अगलदरामद हुआ एवं ना ही अप्रार्थी नं० 1 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आंवटित्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया तथा ना ही किश्ते जमा करवाई गईं। जैर प्रार्थना पत्र आंवटन होने पर आंवटन की शर्तों की पालना नहीं करने व अपने जीवनकाल में पुख्ता आंवटित भूमि का कभी भी कब्जा नहीं लेने के कारण नियम 1975 के नियम 13 (8) के तहत व किश्त जमा नही होने के कारण नियम 17 (3) के तहत अप्रार्थी नं० 1 के पिता को किया गया पेपर आंवटन श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा खारीज कर दिया गया। प्रार्थी का जैर प्रार्थना पत्र भूमि पर करीबन 20—25 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं तथा अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने व प्रार्थी का जैर प्रार्थना पत्र भूमि पर लगातार कब्जा होने के कारण प्रार्थी की कब्जा नियमन के संबंध में प्रकरण संख्या 16 / 2017 न्यायालय आंवटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी के विरूद्ध तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा धारा 22 के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.09.2009, 11.09.2015, 13.09.2017, 08.02.2018, 08.10. 2018, 24.09.2019, 16.09.2020, 07.02.2022, 02,03,2022 को नोटिस जारी किये गये है। अप्रार्थी नं० 1 ने मिथ्या कथनो के आधार पर दिनांक 17.07.2017 को स्वयं को मनीराम का जायज वारिस दर्ज कर बहाल करवा लिया। मनीराम ने अपने आंवटन प्रार्थना पत्र में मक्कासर ग्राम में 15—00 बीघा नहरी भूमि का उल्लेख किया हैं जबकि मनीराम के नाम से तहसील सादूलशहर में भी भूमि आंवटन है। जिसका उल्लेख [illegible] अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। स्व० मनीराम द्वारा जैर प्रार्थना प[illegible]बा स्वयं के नाम धारित अन्य भूमि को छिपाकर आंवटन करवाया गया है। [illegible] प्रार्थना पत्र रकबा बहाल करवाने का आदेश दिन[illegible].2017 को [illegible] किया जाना न्यायालय आंवटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष दर्शित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियम 1975 के नियम 17 (8) में किश्त अभाव में खारीज रकबा के समस्त [illegible] जमा करवाने हेतु एक [illegible] दिनांक 31.12.2013 नियत की हैं। जिसे अनुसार किश्त अभाव में खारीज रकबा पर आवटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:24:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

समस्त किश्त दिनांक 31.12.2013 से पूर्व जमा करवाकर आंवटन वहाल करवाने का पात्र होगा जवकि विना किसी राज्य सरकार के आदेश के उक्त रकवा वहाली का अवैधानिक आदेश दिनांक 17.07.2017 प्राप्त किया है जो कि शुरू से शुन्य आदेश है। उक्त आदेश की प्रतिलिपि नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी नहीं मिल पा रही हैं जिससे सावित हैं कि रकवा वहाली का आदेश मात्र पेपर आदेश हैं। जिसकी पत्रावली कही पर भी दर्ज नही है। जिसका जांच की जानी नितान्त आवश्यक है। रकवा वहाली अवैधानिक आदेश की कियान्विति आज तक नहीं हुई है मौका पर प्रार्थी का आज भी कब्जा हैं, राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर प्रार्थना पत्र रकवा चक 1.825 आरडी प०न० 135/50 कि०न० 9 ता 13, 19 ता 21, 22 ता 25 12–00 वीघा की वावत पारित पेपर आंवटन आदेश दिनांक 25.08.1982 एवं रकवा वहाली आदेश दिनांक 17.07.2017 आंवटन की शर्तों की पालना नही होने के कारण खारीज करने के आदेश पारित करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश सारस्वत उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 को विधिवत नोटिस तामील होने के उपरांत भी उनके उपस्थित आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 13.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। वहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने वहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं न्यायिक दृष्टांत आरवीजे (27) 2020 पेज 652, आरवीजे (20) पेज 2013 की ओर ध्यान दिलाकर की ओर ध्यान दिलाया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने वावत निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने वहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के नाम सादुलशहर में भूमि होने कथन किया है। परन्तु उक्त कथन के संबंध में किसी तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा जिन आधारों पर आवंटन खारिज करने का कथन किया है उसके समर्थन में कोई भी सक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:24:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner